राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक : प.19(2)चिस्वा/2/2009 जयपुर, दिनांक : 14.07.2009

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
समस्त मेडिकल कॉलेज .....

अधीक्षक,
समस्त संबद्ध चिकित्सालय .....

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त .....

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त जिला चिकित्सालय .....

विषयः– समस्त राजकीय चिकित्सालयों में बी. पी. एल. सहायता/दवा वितरण काउन्टर की स्थापना के संबंध में।

प्रसंगः– राज्यादेश कमांक : प.19(2)चिस्वा/2/2009 दिनांक 29.01.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक राज्यादेश के संबंध में लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि अधिकाशं राजकीय चिकित्सालयों में अभी तक बी. पी. एल. सहायता/दवा वितरण काउन्टर की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण बी. पी. एल. मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रहीं है एवं बी. पी. एल. मरीजों पर हुए व्यय का इन्द्राज भी ऑन लाईन पर नहीं हो पा रहा है।

इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आपको निम्न निर्देश जारी किए जाते है कि इनकी अनुपालना सुनिश्चित कराकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को शीघ्र भिजवावें :–

1. राज्यादेश दिनांक 29.01.2009 के परिशिष्ट – 1 के अनुसार संविदा के आधार पर स्टाफ की नियुक्ति :–
   अ. मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों हेतु तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर, दो फार्मासिस्ट, एक लेखाकर्मी, एक लिपिक एवं एक बार्ड ब्वाय/हैल्पर।
   ब. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक फार्मासिस्ट एवं एक लिपिक।

2. राज्यादेश दिनांक 29.01.2009 के परिशिष्ट – 1 के अनुसार उपकरणों का क्रय :–
   अ. मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों हेतु कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं यूपीएस–2, फोटो स्टेट मशीन–1, फ्रिज–1, कूलर–1, पंखे –2, बन्द आलमारी –1, रैक –8, टेबल–2, कुर्सी–4 एवं बडा स्टूल–1
   ब. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं यूपीएस–1, फ्रिज–1, कूलर–1, पंखे –2, बन्द आलमारी –1, रैक –2, टेबल–2 एवं कुर्सी–2

3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक : एफ.23(08)एनआरएचएम/सी.एम.जे.आर.के./09/760 दिनांक 12.02.2009 में जारी आवश्यक निर्देशों की पालना की जावे। यदि अभी तक टेलीफोन एवं ब्राडबैंड कनेक्शन प्राप्त नहीं किया हो तो सात दिवस में प्राप्त करने की व्यवस्था करावें।

4. बी. पी. एल. ऑन लाईन साफ्टवेयर सिस्टम के संबंध में सभी महाविद्यालयों से संबंद्ध चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों के संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पूर्ण करवा दी गई है। अतः सभी जिला चिकित्सालयों के प्रशिक्षण प्राप्त कम्प्यूटर कर्मियों को निर्देश दिए जाते है कि वे अपने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कम्प्यूटर कर्मियों को बी. पी. एल. ऑन लाईट सिस्टम का प्रशिक्षण देंगे ताकि खर्चों का ऑन लाईन सिस्टम पर इन्द्राज की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

5. राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पुरानी बी. पी. एल. सूची के जिन लोगों के नाम नई बी. पी. एल. सूची में नहीं आये है उनको स्टेट बी. पी. एल. मानते हुए मुख्यमंत्री बी. पी. एल. जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जावे।

6. 01 सितम्बर, 2009 से बी. पी. एल. परिवारों के ईलाज हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों (सी. पी. एस. यू.) से क्रय की गई जेनरिक दवाईयों का 70 प्रतिशत पुर्नभरण भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी औषधि योजना से किया जाना प्रस्तावित है। अतः आपके/आपके अधीन सभी अस्पतालों में जन औषधि स्टोर 20 अगस्त, 2009 तक हर हालत में खुल जाने चाहिए, जिससे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

उपरोक्त बिन्दु संख्या एक एवं दो में वर्णित संविदा कर्मचारियों/उपकरणों की व्यवस्था मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से नियमानुसार शीघ्र की जावे। इन पर होने वाले व्यय हेतु आवश्यक राशि आपको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा अलग से भिजवाई जा रही है। कृपया उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करते हुए बी.पी.एल. सहायता/दवा वितरण काउन्टर 31 जुलाई, 2009 तक पूर्ण रूप से स्थापित करने की व्यवस्था करें एवं बी. पी. एल. मरीजों पर होने वाला व्यय का ऑन लाईन पर इन्द्राज करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(आर. के. मीणा) 14/7/09
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
9. रक्षित पत्रावली

14/7/09
शासन उप सचिव